ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

प्रो॰ वेद प्रकाश
अध्यक्ष
Prof. Ved Prakash
Chairman

सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
दूरभाष Phone : कार्यालय Off : 011-23234019, 23236350
फैक्स Fax : 011-23239659, e-mail : cm.ugc@nic.in | web: www.ugc.ac.in

अर्द्धशासी प॰सं॰ 1–1/2014 (अध्यापक शिक्षा) 18 फरवरी, 2015

प्रिय कुलपति/निदेशक महोदय,

कृपया आयोग द्वारा गत समय के कुछ पत्र व्यवहार का संज्ञान लें जो कि शिक्षा विभागों के स्थापन एवं इसके साथ ही विश्वविद्यालयी प्रणाली में विद्यमान अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों के सुदृढ़ीकरण के विषय में था। आपको स्मरण होगा कि मैंने दिनांक 2 जनवरी, 2015 के पत्र के माध्यम से आपको राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन॰सी॰टी॰ई॰) के नूतन विनियमों 2014 के विषय में अवगत कराया था, साथ ही अपने अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम करने के लिए तथा आपके विश्वविद्यालय से सहसंबंद्ध संस्थानों के पाठ्यक्रमों को पूरे मनोयोग से इन विनियमों से सुयोजित करने का आग्रह किया था।

जैसा कि आपको ज्ञात होगा अब राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन॰सी॰टी॰ई॰) ने अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए विश्वविद्यालयों के विभागों से तथा साथ ही संबंद्ध महाविद्यालयों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों में गुणवत्तापूर्ण सुधार सुनिश्चित करने तथा समयबद्धता का पालन करने के उद्देश्य से आपसे आग्रह है कि आप शीघ्र ही निम्न कदम उठाएँ:

1. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2014 के लिए एक रणनीति विकसित करें तथा समस्त अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए विशेष रूप से सुविस्तृत पाठ्यचर्या विकसित करें। आप राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से संपर्क साधना चाहेंगे जो पाठ्यचर्या की विकास प्रक्रिया को सुलभ कराने वाले विशेषज्ञों एवं उपायकुशल व्यक्तियों की सूची आपको उपलब्ध करा सकती है।

2. यदि पात्र समझा जाता है तो सहसंबंद्ध महाविद्यालयों को "प्राथमिकता के आधार" पर कृपया उन्हें प्रमाण पत्र जारी करें जिससे वे एन॰सी॰टी॰ई॰ को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन प्रस्तुत कर सकें।

3. यदि अन्य परिस्थिति में आपके विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग का विचार नये पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का है तो वह अपना आवेदन 01 मार्च, 2015 से 31 मई, 2015 के मध्य एन॰सी॰टी॰ई॰ क्षेत्रीय समिति को भेज दें।

आपके द्वारा उपरोक्त रूप से क्रियान्वयन करने के लिए मैं आपका आभारी रहूँगा क्योंकि इसके माध्यम से अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा जो कि इस प्रणाली के लिए अत्यधिक अनिवार्य है।

सादर,

भवदीय

(वेद प्रकाश)

समस्तविश्वविद्यालय के कुलपति/निदेशक।